

**Integrated Goods & Services Tax Act, 2017**

**Section 23: Power to make regulations**

The Board may, by notification, make regulations consistent with this Act and the rules made thereunder to carry out the provisions of this Act.

---

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

**धारा 23 : विनियम बनाने की शक्ति**

बोर्ड, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए नियमों से संगत विनियम बना सकेगा।

---